प्र०कं० २७ / २०१४ क्लेम

न्यायालयः— अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः—डी०सी० थपलियाल)

1

<u>प्र0क0 27 / 2014 क्लेम</u> संस्थित दिनांक 07.05.2014

- अब्बासअली खॉन पुत्र अल्लादीन खॉन उम्र 43 वर्ष जाति मुसलमान।
- 2. श्रीमती आयशा बेगम पत्नी अब्बासअली खॉन उम्र ४० वर्ष जाति मुसलमान। निवासीगण वार्ड क. ११ गांधी नगर श्यापुर म.प्र.।

.....आवेदकगण

बनाम

- 1. जयबीर सिंह पुत्र रामअवतार सिंह सिकरवार आयु 26 वर्ष। निवासी दाल बाजार तिराहा ग्वालियर, हाल निवासी नगरपालिका रोड पोस्ट ऑफिस के पीछे वार्ड न. 14 करवा गोहद जिला भिण्ड।
- 2. हरेन्द्र सिंह पुत्र घनश्याम सिंह जादौन आयु 60 वर्ष निवासी गोर्बधन कालोनी गोले का मंदिर ग्वालियर, हाल निवासी नगर पालिका रोड पोस्ट ऑफिस के पीछे वार्ड क्रमांक 14 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.।
- 3. मण्डल प्रबंधक श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड डी.—8 रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया सीतापुरा जयपुर (राजस्थान) 302022बीमाकंपनी / अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री रामबीर वघेल अधिवक्ता । अनावेदक क0—1 व 2 द्वारा श्री ए०के०राणा अधि० । अनावेदक क0—3 द्वारा श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता।

// अधि— निर्णय // (आज दिनांक 12—2—15 को घोषित किया गया)

- 01. आवेदकगण / याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 166 एवं सहपिटत धारा 140 मोटर व्हीकल एक्ट का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है जिसमें आवेदकगण ने ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 7047 के चालक, स्वामी और बीमा कम्पनी के विरुद्ध उक्त मोटरयान के उपयोग के दौरान हुई दुर्घटना के फलस्वरूप सुलेमान खॉन जो कि आवेदकगण का पुत्र है की मृत्यु होने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति 45,34,000 / (पैचालीस लाख चौतीस हजार रूपए) रूपए दिलाए जाने बावत् निवेदन किया।
- 02. यह अविवादित है कि ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 7047 अनावेदक कं0 2 के स्वामित्व का है तथा अनावेदक क्रमांक 1 दुर्घटना घटित होने के समय चालक था। यह भी अविवादित है कि उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमा पॉलिसी की शतों के अनुरूप बीमित था। यह भी अविवादित है कि उक्त दुर्घटना गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में घटित हुई थी।
- 03. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 04.01.2014 को रात्रि 09 बजे आवेदकगण का पुत्र सुलेमान खॉन जो कि ट्रक कमांक एम.पी. 06 एच.सी. 1006 पर क्लीनरी का काम करता था। भिण्ड ग्वालियर रोड पर उक्त वाहन के रूकने पर बिरखडी के पास वाहन के डायरों में गिट्टी आदि चैक करने के लिए नीचे रोड पर उतरा था तभी भिण्ड तरफ से ट्रक कमांक एम.पी. 07 जी. 7047 का चालक अनावेदक कमांक 1 उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और आवेदकगण के पुत्र सुलेमान खॉन को टक्कर मार दी जिससे सुलेमान के शरीर में गंभीर चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर की गई जिस पर से अपराध कमांक 03/14 धारा 304ए भाठदंठवि० का पंजीबद्ध किया गया, मृतक के शव का पोस्टमार्डम कराया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया। अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश होकर जे.एम.एफ.सी गोहद के न्यायालय में संचालित है।
- 04. आवेदकगण ने अपने आवेदनपत्र में आगे यह भी निवेदन किया है कि दुर्घटना के समय मृतक 22 वर्ष का स्वस्थ युवक था जो कि ट्रक में क्लीनर का काम कर

9000 / — रूपए मासिक वेतन प्राप्त करता था और उसकी वार्षिक आमंदनी 1,08,000 / — रूपए थी। उसकी आमंदनी से उसके माता—पिता का भरण—पोषण होता था और उसकी आमंदनी पर ही वह आश्रित थे। उसकी असमायिक मृत्यु होने के कारण उससे प्राप्त होने वाली आय से आवेदकगण वंचित हो गए हैं और उन्हें संतान सुख तथा बुढापे के सहारे से भी वंचित होना पड़ा है, आवेदकगणों को मानसिक पीड़ा भी हुई है जो कि आजीवन बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त मृतक के शव के अंतिम संस्कार में भी खर्चा आया है। उक्त वाहन ट्रक घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा चलाया जा रहा था जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था तथा अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। उक्त दुर्घटना थाना गोहद क्षेत्र में हुई है इस कारण इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति के रूप में अनवोदकगण से 45,34,000 / — रूपए व ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा आवेदनपत्र के अधिकांश तथ्यों को स्वीकार 05. किया है, किन्तु उनके द्वारा उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने के फलस्वरूप घटित होने से इनकार किया है और यह बताया है कि उक्त दुर्घटना स्वयं मृतक की असावधानी के कारण हुई है। अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा कोई भी असावधानी नहीं बरती गई है, दुर्घटना हेतु स्वंय मृतक जिम्मेदार है। उपरोक्त वाहन घटना दिनाक को अनावेदक कमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। ऐसी दशा में प्रतिकर अदायगी का दायित्व बीमा कम्पनी का है। आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा आवेदनपत्र के अभिवचनों को इनकार 06. करते हुए वर्तमान क्लेम आवेदनपत्र की प्रचलनशीलता पर प्रश्नचिन्ह उठाया है और यह बताया है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा आवेदकगणों से दुरभिसंधि कर वर्तमान दावा पेश किया गया है। मृतक के ट्रक क्लीनर होने एवं मासिक आमंदनी नो हजार रूपए होने बावत् किया गया अभिवचन किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं है और उम्र के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं है। उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाए जाने से घटित नहीं हुई है और मिथ्या आधारों पर थाना पर अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विशेष आपित्ति में बीमा कम्पनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 06 जी. 7047 उसके चालक के द्वारा वैध एवं प्रभावी लाइसेंस के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था जिस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन हुआ है। इसके अतिरिक्त वाहन परिमिट के बिना चलाया जा रहा था जिस कारण भी बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त दुर्घटना में यदि अनावेदक क्रमांक 1 की कोई लापरवाही पाई जाती है तो उक्त दुर्घटना में स्वयं मृतक की

4 प्र**ा**कं0 27 / 2014 क्लेम

कन्ट्रीव्यूटरी / कंपोजिट नेग्लीजेंस थी जिस कारण प्रतिकर की राशि अदा करने का उत्तरदायित्व अनुपातिक रूप से निराकृत किये जाने का भी निवेदन किया है। ऐसी दशा में बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व न होने से आवेदकगण का आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. आवेदक एवं अनावेदकगण के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गई है जिनके समक्ष निकाले गए निष्कर्ष लेखबद्ध किए है—

Ф.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 04.01.2014 को नो बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे बिरखडी के पास थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में आवेदक कमांक 1 के द्वारा वाहन द्रेक कमांक एम.पी. 07 जी. 7047 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए सुलेमान खॉ को टक्कर मारी जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुयी?	
2	क्या दुघर्टना के समय सुलेमान क्लीनरी का काम कर के 9000/- रूपए की मासिक आमदनी अर्जित कर लेता था?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन द्क एम.पी. 07 जी. 7047 अनावेदक कमांक 1 के द्वारा उसके मालिक अनावेदक कमांक 2 की सहमति से बिना बैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस के चलाया जाकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था? यदि हॉ तो प्रभाव?	
4	क्या घटना दिनांक को उपरोक्त प्रश्नाधीन द्रक बैध एवं प्रभावी रूट परिमट एवं फिटनेस के विपरीत चलाया जा रहा था? यदि हॉं तो प्रभाव?	
5	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हॉ तो किससे एवं कितना–कितना?	
6	सहायता एवं व्यय?	

::- निष्कर्ष के आधार-::

विंदु क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष-

- 08. आवेदक अब्बासअली खॉ आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने साक्ष्य कथन में उसके आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसका लड़का सुलेमान खॉ द्रक क्रमांक एम.पी. 06 एच.सी. 1006 में क्लीनरी का काम करता था। दिनांक 04.01.14 की रात्रि करीब नो बजे भिण्ड ग्वालियर रोड पर बिरखडी गॉव के पास उपरोक्त द्रक खड़ा कर दिया था और वह टायरों में गिट्टी आदि चैक कर रहा था और रोड पर नीचे उतरा तो उसी समय भिण्ड की तरफ से आ रहे द्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 7047 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसके पुत्र सुलेमान को टक्कर मार दी जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें आकर उसकी मृत्यु हो गई। आवेदक के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में आपराधिक प्रकरण के अभियोगपत्र से प्राप्त नकलें पेश की है जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्र.पी. 2, शव परीक्षण आवेदन प्र.पी. 3, पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी. 4, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 5, देहातीनालसी प्र.पी. 6, नक्शा लास पंचायतनामा प्र.पी. 7, नक्शा मौका की प्रतिलिपि प्र.पी. 8, जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 तथा अभियोगपत्र की प्रति प्र.पी. 1 भी उसके द्वारा पेश किये गए है।
- 09. उक्त आवेदक साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने कोई भी दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी और उसके सामने कोई भी दुर्घटना घटित नहीं हुई थी। उसने द्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 7047 के द्वारा टक्कर मारते हुए नहीं देखा था और यह भी नहीं देखा था कि वह द्रक तेजी व लापरवाही से चल रहा था। निश्चित तौर से उक्त साक्षी घटना के समय घटना स्थल पर या उसके आसपास मौजूद नहीं था, बल्कि श्योपुर स्थिति अपने गाँव में था। इस प्रकार उक्त साक्षी घटना घटित होने के संबंध में मात्र सुना सुनाया साक्षी है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर प्रश्नाधीन द्रक के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने का तथ्य मात्र उसके कथन के आधार पर प्रमाणित नहीं हो सकता।
- 10. दुर्घटना घटित होना जो कि द्रक के चालक के द्वारा ही तेजी और लापरवाही से द्रक को चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में आवेदक पक्ष की ओर से आवेदक के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है जिससे कि उक्त दुर्घटना प्रश्नाधीन द्रक के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से उक्त वाहन को चलकार दुर्घटना घटित किये जाने की कोई पुष्टि हो सके।

- 11. आवेदक पक्ष के द्वारा यद्यपि अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अभियोगपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 1 पेश की गई जिसमें कि प्रश्नाधीन द्क के चालक के विरुद्ध धारा 304ए भा0दं0वि0 के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। इस आधार पर आवेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि पुलिस के द्वारा विवेचना करने पर दुर्घटना में प्रश्नाधीन द्क क्रमांक एम.पी. 07 जी. 7047 के चालक की तेजी व लापरवाही प्रमाणित होना पाते हुए चालक अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित द्क की जप्ती भी पुलिस के द्वारा घटना के संधंब में प्र.पी. 9 के अनुसार की गई है तथा उक्त वाहन को प्र.पी. 5 के अनुसार उसके स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा सुपुर्दगीनामे पर लिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों के आधार प्रश्नाधीन वाहन द्क के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुर्घटना कारित करने जिसमें कि मृतक सुलेमान खाँ की मृत्यु हो जाना प्रमाणित होता है।
- अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के चालक के विरूद्ध दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन के प्रकार का भी कोई उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार के वाहन से दुर्घटना हुई है। देहालीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 6, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 2 जो कि स्वयं आवेदक के द्वारा पेश की गई है, उसमें अज्ञात वाहन के चालक के द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने का उल्लेख है। प्रश्नाधीन वाहन द्रक की जप्ती घटना के दो महीने से अधिक समय उपरांत की गई है। प्रश्नाधीन वाहन की सुपुर्दगीनामे के साक्षी के रूप में आवेदक अब्बास पुत्र अल्लाहदीन ही साक्षी के रूप में है जो कि इस बात को दर्शाता है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 जो कि द्रक के चालक व स्वामी है से मिलकर बीमित होने से प्रश्नाधीन द्रक को क्लेम पाने के उद्देश्य से लिप्त किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक 2 स्वामी के द्वारा सुपुर्दगीनामे पर लिया गया है और सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 5 का साक्षी स्वय आवेदक अब्बासअली पुत्र अल्लाहदीन खॉ है जो कि इस बात को दर्शाता है कि आवेदक के द्वारा वाहन के स्वामी और चालक से मिलकर बीमा की राशि प्राप्त करने के आशय घटना के दो महीने से भी अधिक समय उपरांत उक्त वाहन की जप्ती कराकर उससे दुर्घटना घटित होना बताया जा रहा है।
- 13. इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कम्पनी के अन्वेषण अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा का कथन कराया गया है। ओमप्रकाश शर्मा अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह बताया है कि अन्वेषण के दौरान उन्होंने वाहन

द्क कमांक एम.पी. 07 जी. 7047 से कोई दुर्घटना घटित होनी नहीं पाई, इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट व मौके पर बताए गए साक्षियों के कथनों में कहीं भी द्रक के घटना में शामिल होने के बारे में कोई तथ्य नहीं आया है। एक कथित साक्षी अल्ताफ खॉ जिसकी उपरिथति न तो देहातीनालसी और न ही एफ.आई.आर में आई है उसकी जानकारी के आधार प्रश्नागत वाहन द्रक के विरुद्ध पुलिस व उसके चालक व स्वामी से मिलकर असत्य कहानी कराई है और झूटा क्लेम पाने के आशय से फर्जी कार्यवाही की गई है। प्रकरण में वाहन की जप्ती की कार्यवाही सहित विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में पूरी कर अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा इंबेस्टीगेशन रिपोर्ट प्र.डी. 1, एफ0आईआर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी. 2, देहातीनासली प्र.डी.3, मर्ग सूचना प्र.डी. 4, सुपुर्दगीनामा प्र.डी. 5 पेश की गई है। इसके अतिरिक्त इन्वेस्टीगेशन के दौरान साक्षियों के कथन भी लेखबद्ध करने बताया है और बीमा पॉलिसी प्र0डी0 6 भी पेश की गई है। प्रतिपरीक्षण में उनके द्वारा बताया गया है कि घटना के समय घटना स्थल पर वह मौजूद नहीं था। साक्षी दिनेश, कमलेश व नरेश ने अब्बासअली के लडके का अज्ञात वाहन से दुर्घटना में करना बताया था। अन्वेषण के दौरान उन्होंने यह पाया था कि दुर्घटना वाहन क्रमांक एम.पी. 07 जी. 7047 से घटित नहीं हुई थी, उसकी मृत्यु किसी अज्ञात वाहन से हुई थी। यद्यपि उक्त वाहन उनकी कम्पनी में बीमित होना उनके द्वारा स्वीकार किया गया है।

- 14. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि आवेदक पक्ष के द्वारा भी आवेदक अब्बास के अतिरिक्त किसी भी अन्य साक्षी का कोई कथन नहीं कराया गया है जबिक आवेदक अब्बास न तो मौके पर मौजूद था और न ही उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना देखी गई है। घटना की देहातीनासली रिपोर्ट प्र.डी. 3 और मर्ग सूचना रिपोर्ट प.डी. 4 जो कि घटना के पश्चात् 2—3 घण्टे के अंतराल में लिखी गई है उसमें भी किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से सुलेमान को चोट लगना और उसकी मृत्यु हो जाना उल्लेख आया है। घटना को दिनेश, नरेश और वहाँ खडे अन्य लोगों के द्वारा देखा जाना बताया जा रहा है जैसा कि देहातीनालसी रिपोर्ट जो कमलेश कुशवाह के द्वारा दर्ज कराई गई है जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 3 है। आवेदक पक्ष के द्वारा घटना स्थल पर बताया गया साक्षी दिनेश, नरेश अथवा घटना स्थल पर खडे बताए गए किसी भी अन्य साक्षी का कोई कथन नहीं कराया गया है।
- 15. यह उल्लेखनीय है कि घटना जो कि दिनांक 04.01.14 को होनी बताई गई है और वाहन की जप्ती दिनांक 11.03.14 को अर्थात् घटना के दो माह सात दिन पश्चात् की गई है। उक्त वाहन को घटना में लिप्त होने के संबंध में जिस साक्षी के कथन के आधार पर जो कि अब्बास खॉ नामक व्यक्ति को अल्ताफ खॉ के द्वारा बताया जाना साक्षी नरेश कुशवाह

के कथन में आया है जिस आधार पर वर्तमान वाहन को घटना में लिप्त होना बताया गया है, किन्तु इस संबंध में जैसा कि स्पष्ट है कि न तो नरेश कुशवाह के कथना कराए गए है और न ही कथित चक्षुदर्शी साक्षी अल्ताफ खॉ का कथन कराया गया है एवं अनुसंधान अधिकारी का भी कोई कथन नहीं कराया गया है।

16. इस प्रकार आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जबिक आवेदक जो कि घटना का मात्र सुना सनुाया साक्षी है तथा उसके कथन के आधार पर प्रश्नाधीन ट्रक के चालक के द्वारा घटना के संबंध में ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है। तद्नुसार वर्तमान वादप्रश्न का निराकरण कर उत्तर नहीं में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2:-

17. आवेदक अब्बासअली आवेदक साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में बताया है कि उसका पुत्र ट्रक पर क्लीनरी का काम करता था जिससे उसे नो हजार रूपए मासिक वेतन भी मिलता था। इस संबंध में उसके पुत्र के क्लीनरी करने एवं क्लीनरी से नो हजार रूपए मासिक प्राप्त होने एवं पुत्र की उम्र दुर्घटना के समय 22 वर्ष होनी के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य आवेदक के पेश नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यदि मृतक क्लीनरी से वेतन के रूप में नो हजार रूपए प्रतिमाह प्राप्त करता तो इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पेश किया जा सकता था अथवा संबंधित मालिक जिसके द्वारा कि इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती थी कि वेतन के रूप में मृतक को नो हजार रूपए मासिक प्रदान किया जाता था। इस प्रकार मृतक को क्लीनरी का काम करने और क्लीनरी का काम कर उसे नो हजार रूपए मासिक वेतन प्राप्त होना उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक ३ व ४—

18. वर्तमान विन्दुओं को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 पर है। उक्त बिन्दुओं पर अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी दशा में जबिक उपरोक्त बिन्दुओं पर अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। उक्त दोनों बिन्दु प्रमाणित होने नहीं पाए जाते है। तद्नुसार उक्त दोनों बिन्दुओं का निराकरण कर उत्तर ''नहीं'' में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 5—

19. पूर्ववती विवेचना एवं बिन्दु क्रमांक 1 पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह

प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 7047 को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए कोई दुर्घटना कारित की गई हो। ऐसी दशा में जबिक आवेदक इस तथ्य को कि प्रश्नाधीन वाहन से कोई दुर्घटना घटित हुई है ही प्रमाणित नहीं करा सका है तो ऐसी दशा में अनावेदकगण से कोई प्रतिकर की राशि उसे नहीं दिलाई जा सकती। आवेदकगण अनावेदकगण से प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर ''नहीं'' में दिया जाता है।

बिन्दू क्रमाक ६:-

- 20. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में जबिक वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 7047 के चालक के द्वारा उतावलेपन एवं लापरवाही से उक्त वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। आवेदकगण उक्त वाहन के चालक स्वामी अथवा बीमा कम्पनी से कोई भी प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
- 21. तद्नुसार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान क्लेम याचिका स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है। व्यय तालिका तैयार की जावे।

अवार्ड खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी० थपलियाल) अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड (डी०सी० थपलियाल) अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड